बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-कि0आ0-01/2014 6192 /खाद्य,पटना/दिनांक- 07/08/14

महत्वपूर्ण
फैक्स/ई-मेल

प्रेषक,

विद्युभूषण चौधरी
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- अगस्त, 2014 के लिए उपावंटित किरासन तेल का कम्पनीवार कोटा निर्धारण के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक- 5033 दिनांक- 01.08.2014 द्वारा माह अगस्त, 2014 के लिए जिलों को किरासन तेल का उपावंटन किया गया है ।

आई0ओ0सी0एल0, बी0पी0सी0एल0 एवं एच0पी0सी0एल0 द्वारा उपर्युक्त उपावंटन के आलोक में उपावंटित मात्रा का कम्पनीवार कोटा निर्धारित किया गया है ।

इस संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विभिन्न तेल कम्पनियों से सम्बन्धित थोक विक्रेताओं को अविलम्ब किरासन तेल आवंटित कर उसकी प्रति जिलों से सम्बन्धित आई0ओ0सी0एल0/बी0पी0सी0एल0/एच0पी0सी0एल0 के डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर/एरिया मार्केटिंग मैनेजर को उपलब्ध कराया जाय ताकि तेल कम्पनियों द्वारा ससमय आवंटित मात्रा विमुक्त किया जा सके । थोक विक्रेताओं द्वारा उन्हें उपावंटित किरासन तेल का शत-प्रतिशत उठाव सुनिश्चित करने हेतु किरासन तेल उठाव का सतत् अनुश्रवण एवं निगरानी कराई जाय ताकि आवंटित तेल की कोई भी मात्रा व्ययगत न होने पाये ।

विश्वासभाजन,
7/8/14
सरकार के उप सचिव ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

ज्ञापांक- प्र07-कि0आ0-01/2014 6192 /खाद्य,पटना/दिनांक- 07/08/14

प्रतिलिपि- राज्यस्तरीय संयोजक -सह- महाप्रबंधक, भारतीय तेल निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

7/8/14
सरकार के उप सचिव ।

D:\Year-2013 File Sec-7\K.OIL.doc